प्रेस नोट दिनांक- 05.06.2021

विपक्षीयों को फंसाने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से अपने ऊपर जानलेवा हमला कराने का षडयंत्र रचने वाले घटना के मास्टरमाइंड अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डॉ0 बृजेश कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर तथा अपर पुलिस अधीक्षक अपराध इटावा के कुशल मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना इकदिल पुलिस द्वारा विपक्षीयों को फंसाने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से षडयंत्र रच कर स्वयं के ऊपर जानलेवा हमला कराने की साजिश रचने वाले घटना के मास्टर माइंड अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.06.2021 की रात्रि को थाना इकदिल पुलिस को थाना इकदिल क्षेत्रान्तर्गत पक्काबाग स्थित सलीम दवाखाना के नजदीक कुछ लोगों द्वारा एक युवक के गोली मारकर घायल कर देने की सूचना प्राप्त हुई थी सूचना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए उच्चाधिकारियों एवं थाना इकदिल पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घटना के संबंध में जांच शुरू की गई तथा घायल के पिता की तहरीर के आधार पर थाना इकदिल पर मु0अ0सं0 161/21 धारा 323,504,307 भादवि बनाम अजय राजपूत आदि 03 नफर अभियुक्त अभियोग पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-

उक्त घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा क्षेत्राधिकारी नगर को घटना का सफल अनावरण कर अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया । क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा थाना इकदिल पुलिस से टीम गठित कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निरंतर कार्यवाही की जा रही थी । इसी क्रम में थाना इकदिल पुलिस द्वारा इलैक्ट्रानिक एवं मैनुअल साक्ष्य संकलन के साथ- साथ सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से प्रकरण के अनावरण हेतु जांच शुरू की गई जिसमें **पुलिस टीम को साक्ष्यों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार घटना संदिग्ध प्रतीत हुई एवं पुलिस टीम द्वारा घटना के संबंध में और अधिक गहनता से जांच की गई । जांचोपरांत घटना पूर्ण रूप से संदिग्ध पायी गयी तथा सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पुलिस द्वारा घटना में संलिप्त व्यक्तियों की पहचान की गई** । जिनकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा निरंतर दबिश दी जाने लगी ।

जिसमें कार्यवाही करते हुए **दिनाकं 04.06.2021 को थाना इकदिल पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड में घटना में संलिप्त 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।** पुलिस द्वारा घटना का खुलाश करने तथा अपने साथियों की गिरफ्तारी की जानकारी होनें पर घटना का मास्टरमांइड अभियुक्त सत्यम तोमर अस्पताल से फरार हो गया था जिसकी गिरफ्तारी हेतु इकदिल पुलिस द्वारा निरंतर दबिश दी जा रही थी जिसमें सफलता प्राप्त करते हुए आज दिनांक 05.06.2021 को घटना के मास्टर माइंड अभियुक्त सत्यम तोमर को इकदिल पुलिस द्वारा जयभारत कालोनी स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया ।

पुलिस पूछताछ-पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त सत्यम तोमर ने स्वयं के ऊपर जानलेवा हमला कराने की बात स्वीकार करते हुए बताया कि **दिनांक 25.05.2021 को अजय राजपूत एवं उसके भाइयों के साथ मोबाइल के रूपयों के लेनदेन को लेकर मेरा उनसे झगडा हुआ था जिसका बदला लेने के लिए मेरे द्वारा अपने अन्य गिरफ्तार साथियों को झगडे के संबंध में बताया और मेरे द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ योजना बनाकर अजय व उसके भाइयों को झूठे मुकदमें में फंसाने के लिए अपने ऊपर जानलेवा हमले की साजिश रची गई ।** योजना के अनुसार घटना की सत्यता प्रमाणित करने तथा पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से हम लोग एक सीसीटीवी कैमरे के सामने होकर भागे जिसमें मैं (सत्यम) आगे- आगे भाग रहा था और मेरे अन्य गिरफ्तार साथी मुंह पर कपडा पहनकर अवैध असलहा लिये मेरे पीछे- पीछे भाग रहे थे । कुछ दूर आगे जाकर अंकित यादव उर्फ नितिन उर्फ फौजी के द्वारा मेरे पैर की खाल को पकड कर गोली मार दी गयी थी तथा मेरे परिवारीजनों को भी अंकित व अन्य साथियों द्वारा मेरे ऊपर अजय राजपूत व उसके भाइयों द्वारा झूठे जानलेवा हमले की सूचना दी गयी थी ।

घटना के संबंध में पंजीकृत अभियोग में विवेचना के क्रम में थाना इकदिल पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0स0 161/21 धारा 323,504,307 भादवि बनाम अजय, शिवम, कपिल की संलिप्तता न पाये जाने पर उनका नाम हटाकर उपरोक्त धाराओ का लोप करते हुए मु0अ0सं0 161/21 में धारा 388,120 बी भादवि बनाम सत्यम, अंकित यादव, आरजू, विकास, रिशू ठाकुर के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त –</u>

1. सत्यम तोमर पुत्र राजकमल निवासी जय भारत कालोनी थाना फ्रेंड्स कालोनी जनपद इटावा ।

<u>आपराधिक इतिहास-</u>

1. मु0अ0स0 165/18 धारा 328,364,392,411 भादवि थाना बेला जनपद औरैया
2. मु0अ0स0 166/18 धारा 41/102 सीआरपीसी व 411,413,419,420 भादवि थाना बेला जनपद औरैया
3. मु0अ0स0 167/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बेला जनपद औरैया
4. मु0अ0स0 240/18 धारा 379/411 भादवि थाना बेला जनपद औरैया
5. मु0अ0स0 506/17 धारा 364 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना बेला जनपद औरैया
6. मु0अ0स0 320/18 धारा 3(1)यू0पी गैगस्टर एक्ट थाना सिकंदरा जनपद आगरा ।
7. मु0अ0स0 976/19 धारा 379,328 भादवि थाना सिकंदरा जनपद आगरा ।
8. मु0अ0स0 1007/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिकंदरा जनपद आगरा ।

नोट- गिरफ्तार अभियुक्त सत्यम तोमर एक शातिर किस्म का अपराधी है जिसके विरुद्ध आस-पास के जनपदों में कई अभियोग पंजीकृत है जिनके संबंध में जानकारी की जा रही है ।

<u>पुलिस टीम-</u> श्री जीवाराम यादव प्रभारी निरीक्षक थाना इकदिल, व0उ0नि0 श्री राजेश कुमार, उ0नि0 अनुभव चौधरी, उ0नि0 दयानंद पटेल, का0 मंयक शर्मा, का0 जसवंत सिंह, का0 शैलेन्द्र सिंह ।

सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद इटावा